



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062022-236566
CG-DL-E-14062022-236566

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2591]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944

No. 2591]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISHTHA 24, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

का.आ. 2719(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् -:

अनुसूची	
प्राधिकारी का पद और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
श्री राजीव कुमार पाण्डे (सेवानिवृत्त ए. डी. एम.) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू मुन्द्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना एफ. सी.आई. अरावली जिप्सम एवं मिनेरल्स इंडिया लिमिटेड (एफ.ए.जी.एम.आई.एल.) बिल्डिंग, प्रथम तल इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-बी, विवेक विहार स्कीम, जोधपुर-342005, राजस्थान	राजस्थान राज्य

श्री वीरेंद्र सिंह बांकावत (सेवानिवृत्त आई. ए. एस.) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, न्यू मुन्द्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना प्लॉट संख्या 3, द्वितीय तल, श्याम हाउस, आम्रपाली चौराहा, वैशाली नगर, जयपुर-302021, राजस्थान	राजस्थान राज्य
--	----------------

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी

[फा. सं. आर-11029/33/2022-ओआर-1/ई-42962]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

S.O. 2719(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Government of India hereby authorises the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Designation and address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Sh. Rajiv Kumar Pandey (Retd. ADM) Indian Oil Corporation Limited, New Mundra Panipat Pipeline Project, FCI Aravali Gypsum & Minerals India Limited (FAGMIL) Building, 1st Floor Institutional Area, Sector-B, Vivek Bihar scheme, Jodhpur-342005, Rajasthan.	State of Rajasthan
Sh. Veerendra Singh Bankawat (Retd. IAS) Indian Oil Corporation Limited, New Mundra Panipat Pipeline Project, Plot No. 3, 2nd Floor, Shyam House, Amrapali Circle, Vaishali Nagar, Jaipur-302021, Rajasthan.	State of Rajasthan

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11029/33/2022-OR-I/E-42962]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.